न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 56/18 (225 आरटीए)
जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00200

उनवान

1. भागमल पुत्र बिहारी
2. विरमा पुत्री हरख्याल

} जाति जाट निवासी कैलूरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र मदनलाल जाति पंजाबी निवासी 3 ई 11 सी, एन.एच–3 फरीदाबाद तहसील व जिला फरीदाबाद हरियाणा
2. लीला पत्नी मोहनसिंह
3. सूरजमुखी पत्नी हजारी
4. मन्जू पत्नी विजय

} जाति जाट निवासी कैलूरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
6. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय नदबई।

.....उत्तरवादी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 35/2018 बउनवानी भागमल आदि बनाम बृजमोहन में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 23.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 35/2018 बउनवानी भागमल आदि बनाम बृजमोहन में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय से पेश किया गया कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी एवं अन्य खसरा नम्बर 997 व 1000 को रहन–बय–मुन्तकिल न करें, मजाहमत व मदाखलत न करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर जबाल आवे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2018 को निर्णय पारित कर पूर्व में जारी अस्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निषेधाज्ञा दिनांक 17.05.2018 में संशोधन करते हुए आराजी खसरा नम्बर 1012/1.08 वाके कैलूरी पर केवल मौका की यथास्थिति बनायी रखने हेतु आदेश दिया गया एवं शेष खसरों पर स्थगन आदेश खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जो सामान्य न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1012/1.08 पर सभी पर न्यायालय तहत द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। यदि आदेश के खसरा नम्बर विशिष्ठ रुप से अंकित नहीं किये गये है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए आदेश तहत कतई गलत है, निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रों में उक्त तीनों नम्बरों को अंकित किया गया है और तीनों नम्बरान पर ही अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किया गया है इसलिए दो नम्बरों मे आदेश वापिस लेने व खारिज करने का आदेश देने में भारी त्रूटि की है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सूचित किये बिना एवं बिना सुने उत्तरवादी के प्रार्थना–पत्र खण्डनाधीन आदेश से केवल खसरा नम्बर 1012/1.08 पर अस्थाई निषेधाज्ञा रखते हुए शेष आराजी पर खारिज करने का आदेश दिया है जो कतई गलत है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 की जानकारी नकल लेने पर दिनांक 21.06.2018 को हुई है उक्त आदेश को अब दिनांक 13.06.2018 को अगली पेशी तक बढ़ा दिया है इसलिए यह अपील दोनों आदेशों के सम्मलित हो जाने से दोनों के विरुद्ध पेश की जा रही है जो दिनांक 21.07.2018 की छुट्टी होने के कारण आज पेश की जा रही है जानकारी के दिन से व नकल मे लगे समय से अन्दर अवधि पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अपीलार्थी अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नदबई दिनांक 22.05.2018 निरस्त किये जाकर अपीलार्थी के हक में उत्तरवादी के विरुद्ध सम्पूर्ण अभियाचित अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश ताफैसला दावा जारी किये जाने का आदेश दिया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी अपील बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 विवादित आराजी खसरा नम्बर 1012 रकबा 1.08 हैक्टर वाक ग्राम कैलूरी तहसील नदबई

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज चला आ रहा था। जिसने उक्त आराजी के अपने 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 08.05.2018 को प्रतिफल 4,00,000/– रुपया लेकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 2 को 11/108 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 को 43/108 हिस्सा का रजिस्टर्ड बयनामा करा दिया तथा उक्त दिनांक से उक्त हिस्से पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 को मौके पर कब्जा करा दिया उक्त आराजी पर अप्रार्थी सं. 2, 11/108 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3, 43/108 हिस्सा पर खातेदार व काबिज चली आ रही थी। अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिफल देकर क्रय किया था। उक्त हिस्से से प्रार्थीगण का या अन्य अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं था। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। ऐसी स्थिति में प्राईमाफेसी केस सुविधा का संतुलन अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स के हक में था। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.05.2018 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 31.07.2018 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा न तो जबाब पेश किया गया है एवं न ही कोई काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपने द्वारा पेश दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के साथ पेश किया। प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दिनांक 17.05.2018 को अपीलान्ट प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे दिनांक 13.06.2018 तक आराजी खसरा नम्बर मुन्दर्जे मद नं. 2 प्रार्थना–पत्र की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आगामी तारीख पेशी 13.06.2018 नियत की

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गयी लेकिन पत्रावली दिनांक 22.05.2018 को अप्रार्थी 2 लगायत 4 के प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश किए कि आराजी खसरा नम्बर 1012/1.08 वाके कैलूरी पर केवल मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिया जाता है। शेष खसरा नम्बरों पर स्थगन आदेश खारिज माना जावे।

अपीलान्ट्स ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 एवं 13.06.2018 के विरुद्ध पेश किया जाना अंकित किया है लेकिन दिनांक 13.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने अपील मीमों की मद सं. 2 में अंकित किया है कि इस प्रकरण में दिनांक 17.05.2018 को विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किए जिसे बिना अपीलार्थी को सुचित किए बिना सुने उत्तरवादी के प्रार्थना–पत्र खण्डनाधीन आदेश से केवल खसरा नम्बर 1012/1.08 पर रखते हुए शेष आराजी पर खारिज करने का आदेश दिया है जो कतई गलत है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जो सामान्य न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। अपील मीमों की मद सं. 4 से खसरा नम्बर 997 व 1000 की लाइन फेर कर काटा गया है, इसी प्रकार अपील मीमों के अनुतोष में भी उक्तानुसार ही खसरा नम्बर 997 व 1000 की लाइन फेरकर काटा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पत्रावली वर्तमान में अन्तिम बहस में नियत है। पत्रावली अन्तिम बहस में 05.01.2023 को नियत कर आगामी तारीख पेशी 08.02.2023 नियत की गयी थी तब से लेकर तारीख पेशी 08.07.2024 तक बहस में नियत रहती आई है लेकिन बहस नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अन्तिम निस्तारण नही हुआ एवं वर्तमान में हस्तगत अपील में यह पत्रावली न्यायालय हाजा में पेश हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 22.05.2018 की अपील न्यायालय हाजा में पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2018 जो अपीलान्ट्स के पक्ष में एकपक्षीय दिया गया था एवं आदेश दिनांक 22.05.2018 जो अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के प्रार्थना–पत्र पर उनके पक्ष में एकपक्षीय दिया गया था, दोनों की प्रकृति अन्तरिम आदेश की प्रकृति है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में जब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पत्रावली अन्तिम बहस में नियत हो गयी थी तो उनको चाहिए था कि उसमें बहस कर प्रकरण में अन्तिम आदेश प्राप्त करते लेकिन बार–बार बहस में पत्रावली की तारीख पेशी नियत होने के बाबजूद बहस नहीं की गयी। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद की पत्रावली भी जैरकार है एवं दिनांक 22.05.2018 को अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के प्रार्थना–पत्र में यह भी अंकित है कि वादी ने दिनांक 17.05.2018 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1012/1.08 वाके ग्राम कैलूरी तहसील नदबई बाबत अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था, जो दावे की पत्रावली से ही स्पष्ट होगा। साथ ही अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 212 की मद सं. 2 में भी केवल खसरा नम्बर 1012 रकबा 1.08 हैक्टर अंकित है एवं अपीलान्ट प्रार्थीगण के पक्ष में एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी "आराजी खसरा नम्बर मुन्दर्जे मद सं. 2 प्रार्थना–पत्र" अंकित कर ही दिया गया है। केवल तामीली नोटिस में खसरा नम्बर 997 व 1000 भी खसरा नम्बर 1012 के साथ अंकित किए गए हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अन्तिम बहस

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में होने एवं पारित आदेश अन्तरिम आदेश होने से यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर